

**jkT; f'k{kk dln] e-i z Hkks ky**  
**jk"Vh; i frHkk [kwt i Fke p; u ijh{kk 2019&2020 %NTSE%½**  
**%d{kk& 10 oh ea v/; ; ujr fo | kFkz, ka ds fy, ½**  
**ijh{kk fu; e iqlrdk**

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 दिनांक 03 नवम्बर 2019 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 10 मई 2020 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 को अनुमोदित करती है। वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. ik=rk & म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कहीं कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. Nk=oflr & राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है—

1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/- प्रतिमाह
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/- प्रतिमाह
3. Ph.D के लिए UGC नार्मस के अनुरूप

3. vkj{k.k& प्रथम चयन परीक्षा हेतु म.प्र. राज्य के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 20 प्रतिशत एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित एवं बहुविकलांग सभी वर्गों के 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे।

4. ijh{kk , oavkonu grqegroi wk frffk; k&

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03/11/2019
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. ijh{kk fooj.k %& jkT; Lrjh; ijh{kk LVst&1 fnukd 03-11-2019

ijh{kk fnukd	i zu Ø-	l e;	i zu kh l d; k	dy vid	l e; kof/k	vgrikdkjh vid	
03.11.19	प्रश्न पत्र-1 MAT	प्रातः 10:00 से 12:00 (दृष्टि बाधित के लिए) 10:00 से 12:30	100	100	120 minutes (2 घंटे )	32% Sc,St 40% Gen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।</li> <li>• छात्रों को दोनों (MAT,SAT ) प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</li> <li>• छात्रों का चयन, प्राप्तांको के आधार पर Merit Basis पर किया जायेगा।</li> </ul>
	प्रश्न पत्र-2 SAT	दोपहर 01:30 से 03:30 (दृष्टि बाधित के लिए) दोपहर 01:30 से 3:30)	100	100	120 minutes (2 घंटे )	40% OBC/ EWS	

नोट – प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व (सुबह 9:30 बजे एवं दोपहर 1:00 बजे) अनिवार्य रूप से पहुँचे।

- मानसिक योग्यता परीक्षा –इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- शैक्षिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र– 13, रसायन शास्त्र– 13, जीव विज्ञान– 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास– 15, भूगोल– 15, राजनीति शास्त्र– 05, अर्थशास्त्र– 05) तथा गणित विषय– 20 प्रश्न होंगे।

6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्यप्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा के समान होगा।

7. 03-11-2019

03.11.2019 (रविवार)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)
		प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक (दृष्टिबाधित के लिए) 10:00बजे 12:30	दोपहर 01:30 बजे से 03:30 (दृष्टिबाधित के लिए) 01:30बजे 04:00
		प्रातः 09:45 से 10:00 बजे तक	दोपहर 01:15 बजे से 01:30 तक
		प्रातः 09:55 बजे से	दोपहर 01.25 बजे से

8. आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर दिनांक 08/08/2019 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के लोगो पर क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
- 8.1 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
- 8.2 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं संकुल प्राचार्य/संस्था प्राचार्य से सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र में ले जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।
- 8.3 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यर्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी कार्यालय)को आवेदन-पत्र सूचीबद्ध करके भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी.कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को भेजे जावेंगे।
- 8.4 स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- 8.5 ऑन लाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।
- 8.6 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 8.7 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।
- 8.8 ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 X 4. 5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये।

- 8.11 पोलोराइड, (Polaride) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड पर लगा हुआ फोटोग्राफ भी मान्य नहीं होगा।
- 8.12 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
- 8.13 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।
- 8.14 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- 8.15 अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने हैं।
- 8.16 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- 8.17 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 8.18 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक बेवसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।

9. **ijh{k dk ek/; e&** परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
10. **ijh{k 'k'd&** इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
11. **iqeW; kdu&** इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
12. **; k=k HkRrk&** परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. **egRo iWk funk&**
  - 13.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
  - 13.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  - 13.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
  - 13.4 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
  - 13.5 **ijh{k gkly ea ys tkus grq vko' ; d l kexh %& i d'sk&i =] dpy dkyk @ulhyk ckly/lokba/ iuA ty iu dk mi ; lx ekU; ugha gkxkA**
  - 13.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होंगे जिनमें से एक सही होगा।
  - 13.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।
  - 13.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन-पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।
  - 13.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
14. **ijh{k dlnz %&**

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।
15. **vufpr l k/ku %&**

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :-

  - 15.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
  - 15.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
  - 15.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
  - 15.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
  - 15.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
  - 15.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।

- 15.7 ijh{kk d{k ea fdl h Hh i d kj fd fdrkc ; k dki h ]l Y; yj] ekckby Qku] dVdyVj] ykkk VcYl ] udy ipkj byDVkfud ; æ vfn dk mi ; lx i wkt-% oftr g\$ bua l s dkbz Hh l kexh ik; s tkus ij ijh{kkFkz }kjk ml s l k us l s bckj djuk ; k ml s Lo; a u"V djukA
- 15.8 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 15.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 15.10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 15.11 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

16. ew; kdu i) fr % वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

17. fyf[kr ijh{kk ea fu% kDr tu vlt; fFkz ka ds fy, mi yC/k l fo/kk, W%& मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र. /एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(17.1) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

- 17.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
- 17.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 17.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।
- 17.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

(17.2) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

(17.3) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

- 17.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
- 17.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्राचार्य द्वारा

प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(17.4) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

17.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

17.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

उत्सव/ & fdl h Hkh i xdkj dh dffBukbz gkus ij fujkdj.k gsrq njiHkk"k ucj 0755-2559952@MP Online  
0755-6720200 ij l i dZ dja

- Nk= ds }kjk vkonu i = ea Hkhj xbz tkudkj ykkd gkus ds ckn i fofr ugha dh tk; xh  
Ñi ; k tkudkj Hkjus l siwZ ij h{kk fu; e i fLrdk dk l ko/kkuhi wZd voykdu dja

vij l pkyd  
jkt; f'k{kk dñnz  
Hkks ky